कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

E-mail ID – janjgir.cg@gov.in Contact & Fax No. 07817-222228

//आदेश//

क्रमांक/ 1924/एडीएम/2020 जांजगीर दिनांक 21.09.2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीडित/संदेही से संपर्क/दूर रहने की सख्त हिदायत है।

जिला जांजगीर-चाम्पा में दिनांक 20-09-2020 तक कुल 3404 धनात्मक मरीजों की पहचान की गई है। कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला जांजगीर-चाम्पा के समस्त नगरीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः जिला जांजगीर-चाम्पा में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिला जांजगीर-चाम्पा के समस्त नगरीय क्षेत्रों को दिनांक 25-09-2020 से 01-10-2020 तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया जाता है :-

1- कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, फायरब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एटीएम तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेगी। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जायें। **उपरोक्त सभी कार्यालय आम नागरिकों के लिये बंद रहेंगे।**

2- कंटेनमेंट क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक और निजी गैर-आवश्यक परिवहन सेवाएं, जिनमें निजी बसें, टैक्सी, बसें, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है के परिचालन की अनुमति नही होगी एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें हो, उन्हें भी अपवादित स्थिति तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। **उक्त अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित सर्विलांस टीम, कोरोना वायरस (कोविड-19) के नमूना संग्रह करने वाली टीम एवं निगरानी टीम को आवागमन की अनुमति होगी।**

3- **कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी।**

4- **जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा।**

5- उपरोक्त अवधि में मेडिकल दुकानें प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक संचालित की जा सकेगी तथा अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल दुकानें (24×7) संचालित की जा सकेगी।

6- बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी तथा एटीएम में कैश जमा करने हेतु प्रयुक्त वाहन को आवागमन की अनुमति रहेगी।

7- पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेड़िकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पीओएल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

8- दूध पार्लर खोलने व वितरण की समयावधि प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक एवं सायं 5:00 बजे से 6:30 बजे तक होगी।

9- न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक अनुमति होगी,

10- पशु चारा दुकानें/पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा सायं 5:00 बजे से 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

11- एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

12- उक्त अवधि के दौरान इन कंटेनमेंट क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

13- औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।

14- उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र एवं इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे।

15- सभी प्रकार के सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

16- कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेंशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार लागू रहेगें। इन कार्यो में संलग्न सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

17- होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 9179623851 एवं 9179625229 में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।

18- उपरोक्त अवधि में किसी भी तरह की समस्या या शिकायत होने पर जिला कोविड कंट्रोल रूम में सहायता एवं परामर्श हेतु दूरभाष क्रमांक 9179623851 एवं 9179625229 तथा निम्नानुसार नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है :-

क्र.	कोविड केयर सेंटर का नाम	नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर
1	2	3
1	आई.टी.आई. कुलीपोटा	श्री सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर मो.नं. 88391-48585
2	कोविड अस्पताल जिला चिकित्सालय परिसर जांजगीर (ECTC)	
3	आकांक्षा परिसर (जर्वे) जांजगीर	
4	दिव्यांग स्कूल पेण्ड्रीभाठा जांजगीर एवं लाइब्रेरी परिसर दिव्यांग स्कूल के बगल पेण्ड्रीभांठा जांजगीर	
5	कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन (जर्वे) जांजगीर	
6	शासकीय एमएमआर स्नाकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा	
7	आई.टी.आई. अकलतरा	

8	शासकीय क्रांतिकुमार भारती महाविद्यालय जेठा सक्ती	श्री करूण डहरिया, डिप्टी कलेक्टर मो.नं. 7828674523
9	शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभांठा डभरा	
10	शासकीय प्री.मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास गुचकुलिया जैजैपुर	
11	शासकीय बेदराम महाविद्यालय मालखरौदा	
12	एकलव्य आवासीय परिसर पलाडीखुर्द सक्ती	
13	शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं अनुसूचित बालिका छात्रावास बिर्रा	
14	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द महुदा-बलौदा	

उपरोक्त बिन्दुओं को छोडकर कंटेनमेंट क्षेत्र अन्तर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

यह आदेश दिनांक 25-09-2020 से दिनांक 01-10-2020 तक प्रभावशील रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)
जांजगीर दिनांक 21 .09.2020

पृ. क्रमांक/ 1925 /एडीएम/2020
प्रतिलिपि :-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
4- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
6- पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।
8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9- सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10- तहसीलदार सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11- उप संचालक, जनसंपर्क जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)